

न्यायालय : कल्पना मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला-बुरहानपुर (म.प्र.)

क्रमांक / /2023

बुरहानपुर, दिनांक : ...01.2023

:: आपराधिक कार्य विभाजन ज्ञापन वर्ष 2023 ::

मैं कल्पना मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.), माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्रमांक 8565/तीन-2-3/74 दिनांक 12.03.1977 के निर्देशानुसार तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14(1) एवं 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, पूर्व में प्रसारित आदेशों को अतिष्ठित (सुपरसीड) करते हुये, इस न्यायिक जिला बुरहानपुर एवं तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य आपराधिक कार्य विभाजन कर क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएं निश्चित करती हूँ, जो तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

1	2	3	4
1.	कल्पना मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुरहानपुर	<p>1. आरक्षी केन्द्र</p> <p>1. कोतवाली</p> <p>2. शाहपुर</p> <p>3. जी.आर.पी.</p> <p>4. यातायात</p> <p>5. संपूर्ण आबकारी विभाग (वृत्त बुरहानपुर उत्तर, वृत्त बुरहानपुर दक्षिण एवं वृत्त नेपानगर)</p> <p>6. निम्बोला</p> <p>2. संपूर्ण बुरहानपुर जिला</p>	<p>1. आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली बुरहानपुर, शाहपुर, जी.आर.पी., यातायात, आबकारी विभाग (वृत्त बुरहानपुर उत्तर, वृत्त बुरहानपुर दक्षिण एवं वृत्त नेपानगर), आरक्षी केन्द्र निम्बोला क्षेत्र के ग्राम, जो तहसील बुरहानपुर क्षेत्र में समाहित है तथा उनकी चौकी एवं अन्य विभागों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना एवं उससे संबंधित परिवाद विलोपन एवं अंतिम प्रतिवेदन रिपोर्ट तथा क्लोजर रिपोर्ट का निराकरण करना (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों, जिनमें ग्राम न्यायालय शामिल है, को है)</p> <p>2. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र एवं आरक्षी केन्द्र निम्बोला क्षेत्र के ग्राम, जो तहसील बुरहानपुर क्षेत्र में समाहित है, क्षेत्रों के अंतर्गत धारा 176 दं.प्र.सं. के संशोधित प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जांच करना।</p> <p>3. नगरपालिका बुरहानपुर के अंतर्गत आने वाले नगरपालिका परिषद् द्वारा प्रस्तुत होने वाले नगरपालिका अधिनियम के समस्त दाण्डिक प्रकरण एवं अपीलों का निराकरण। (माननीय सत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)।</p> <p>4. संपूर्ण आबकारी विभाग (वृत्त बुरहानपुर उत्तर, वृत्त बुरहानपुर दक्षिण एवं वृत्त नेपानगर) के समस्त दाण्डिक प्रकरण।</p> <p>5. आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली बुरहानपुर, शाहपुर, जी.आर.पी., यातायात, आबकारी विभाग (वृत्त उत्तर एवं दक्षिण), आरक्षी केन्द्र निम्बोला क्षेत्र के ग्राम, जो तहसील बुरहानपुर क्षेत्र में समाहित है तथा उनकी चौकियों से उत्पन्न होने वाले एवं उक्त क्षेत्रों के समस्त आबकारी वृत्त से उत्पन्न होने वाले आबकारी प्रकरण, जिनमें जप्त की गई मदिरा की मात्रा 50 बल्क लीटर या उससे अधिक हो तथा धारा 49(ए) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरणों का निराकरण तथा उक्त अधिनियम की धारा 34(1-क), 36 बाबत समस्त समरी, जो कॉलम नंबर 03, क्रमांक</p>

1	2	3	4
			<p>05 में उल्लेखित थाने से उद्भूत हुये हैं, वें प्रकरण।</p> <p>6. सिनेमाटोग्राफ एक्ट से संबंधित समस्त मामलें।</p> <p>7. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र, आरक्षी केन्द्र निम्बोला क्षेत्र के ग्राम, जो तहसील बुरहानपुर क्षेत्र में समाहित है, क्षेत्रों से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (विशेष उपबंध) अधिनियम 1987, अत्यावश्यक वस्तु संशोधन (आर्डिनेन्स) 1998 का निराकरण करना।</p> <p>8. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 से संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य आपराधिक परिवाद संपूर्ण बुरहानपुर जिले का ग्रहण कर निराकरण करना (विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण)</p> <p>9. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र, आरक्षी केन्द्र निम्बोला क्षेत्र के ग्राम, जो तहसील बुरहानपुर क्षेत्र में समाहित है, में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण :-</p> <p>अ. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट, 1945</p> <p>ब. म0प्र0 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955</p> <p>स. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958</p> <p>द. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम</p> <p>य. नाप तौल अधिनियम</p> <p>र. फैक्ट्री अधिनियम</p> <p>ल. सार्वजनिक द्युत अधिनियम</p> <p>10. आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली बुरहानपुर, शाहपुर, जी.आर. पी., यातायात, आबकारी विभाग (वृत्त उत्तर एवं दक्षिण), आरक्षी केन्द्र निम्बोला क्षेत्र के ग्राम, जो तहसील बुरहानपुर क्षेत्र में समाहित है, (आरक्षी केन्द्र नेपानगर, निम्बोला को छोड़कर) से उत्पन्न होने वाले भारतीय खदान अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>11. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बुरहानपुर द्वारा मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण तथा सिविल जिला बुरहानपुर के समस्त क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मोटरयान अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।</p> <p>12. संपूर्ण जिला बुरहानपुर के समस्त थाना क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न होने वाले मोटरयान अधिनियम की धारा 113/114, 115/194(1), 114/194(2) के अंतर्गत लोडर-लोडिंग से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।</p> <p>13. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 322 एवं 325 के अंतर्गत विभिन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा प्रेषित प्रकरण।</p> <p>14. सिविल जिला बुरहानपुर के समस्त थाना क्षेत्रों में चलित न्यायालय लगाये जाने का कार्य।</p> <p>15. आरक्षी केन्द्र कोतवाली, जिला बुरहानपुर की परिसीमाओं से उत्पन्न एवं प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के समस्त प्रकरण।</p> <p>16. बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित एवं कार्यरत ग्राम</p>

1	2	3	4
			<p>न्यायालयों द्वारा दाण्डिक प्रकरणों में किये गये विनिश्चयन् के विरुद्ध ग्राम न्यायालय अधिनियम, 1966 की धारा 31 के अंतर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिकायें।</p> <p>17. अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर एवं अनुपस्थिति की स्थिति में उनके क्षेत्राधिकार के स्वीकारण के संक्षिप्त विचारणीय प्रकरणों को अपने न्यायालय में दर्ज कर निराकरण करना एवं आवश्यक आपराधिक कार्य का निष्पादन कराना एवं चालान लेकर संबंधित न्यायालय को भेजना।</p> <p>18. सिविल जिला बुरहानपुर के न्यायालय की ओर से प्रेषित परिवाद का विचारण करना।</p> <p>19. सिविल जिला बुरहानपुर के समस्त आरक्षी केन्द्रों के मामलो के खारिजी प्रतिवेदन तथा थाना सिटी कोतवाली बुरहानपुर, शाहपुर, जी.आर.पी., यातायात, आबकारी विभाग (वृत्त उत्तर एवं दक्षिण), आरक्षी केन्द्र निम्बोला क्षेत्र के ग्राम, जो तहसील बुरहानपुर क्षेत्र में समाहित है, द्वारा प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार कर निराकरण करना।</p> <p>20. माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर एवं माननीय सत्र न्यायालय बुरहानपुर द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों का पालन करना।</p> <p>21. धारा 306 द.प्र.सं.के अधीन अभियुक्तों के वायदामाफी से संबंधित प्रकरणों का निराकरण।</p> <p>22. श्रम विभाग एवं कारखाना अधिनियम द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण।</p> <p>23. केबल टेलीविजन नेटवर्क(रेग्यूलेशन) एक्ट 1989 से संबंधित समस्त मामलें।</p> <p>24. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के अंतर्गत समस्त कार्यवाहियां।</p> <p>25. औषधी एवं प्रसाधन अधिनियम के प्रकरण। (कंडिका क.10 से 15 में जो अधिनियम उल्लेखित किये गये हैं, उनसे संबंधित ऐसे प्रकरण, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय योग्य हो, सुने जायेंगे)</p> <p>26. ऐसे अधिनियमों या नियमों से संबंधित मामले, जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन ज्ञापन में नहीं है, लेकिन जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारण योग्य है।</p>
2.	श्री अजय कुमार यदु, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुरहानपुर	आरक्षी केन्द्र 1. लालबाग	<p>1. थाना लालबाग क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले तथा अन्य विभागों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है।</p> <p>2. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र लालबाग क्षेत्र के धारा 176 दं.प्र.सं. के संशोधित प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जांच</p>

1	2	3	4
		<p>करना।</p> <p>3. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय बुरहानपुर की पूर्वानुमति एवं सी.जे.एम. बुरहानपुर को पूर्व सूचना देते हुये अपने क्षेत्राधिकार में चलित न्यायालय लगाना।</p> <p>4. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र लालबाग क्षेत्रों से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (विशेष उपबंध) अधिनियम 1987, अत्यावश्यक वस्तु संशोधन (आर्डिनेन्स) 1998 का निराकरण करना।</p> <p>5. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र लालबाग क्षेत्र से उत्पन्न म0प्र0 आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में, जिनमें 50 बल्क लीटर से कम शराब जप्त हुई हो, का विचारण करना।</p> <p>6. जिला बुरहानपुर (थाना नेपालनगर एवं निम्बोला को छोड़कर) के शेष आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के प्रकरण, जो कि यह कार्य विभाजन आदेश लागू होने की दिनांक से माह फरवरी 2023 तक की अवधि में प्रस्तुत किये जावे।</p> <p>7. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित दाण्डिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>8. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र लालबाग से उत्पन्न होने वाले माईन्स एण्ड मिनरल्स एक्ट से संबंधित समस्त प्रकरण।</p> <p>9. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र लालबाग से संबंधित पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार कर निराकरण करना।</p> <p>10. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र लालबाग में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण :-</p> <p>अ. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट, 1945</p> <p>ब. म0प्र0 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955</p> <p>स. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958</p> <p>द. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम</p> <p>य. नाप तौल अधिनियम</p> <p>र. फैक्ट्री अधिनियम</p> <p>ल. सार्वजनिक द्युत अधिनियम</p> <p>2. वन विभाग जिला बुरहानपुर</p>	<p>करना।</p> <p>3. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय बुरहानपुर की पूर्वानुमति एवं सी.जे.एम. बुरहानपुर को पूर्व सूचना देते हुये अपने क्षेत्राधिकार में चलित न्यायालय लगाना।</p> <p>4. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र लालबाग क्षेत्रों से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (विशेष उपबंध) अधिनियम 1987, अत्यावश्यक वस्तु संशोधन (आर्डिनेन्स) 1998 का निराकरण करना।</p> <p>5. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र लालबाग क्षेत्र से उत्पन्न म0प्र0 आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में, जिनमें 50 बल्क लीटर से कम शराब जप्त हुई हो, का विचारण करना।</p> <p>6. जिला बुरहानपुर (थाना नेपालनगर एवं निम्बोला को छोड़कर) के शेष आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के प्रकरण, जो कि यह कार्य विभाजन आदेश लागू होने की दिनांक से माह फरवरी 2023 तक की अवधि में प्रस्तुत किये जावे।</p> <p>7. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित दाण्डिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>8. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र लालबाग से उत्पन्न होने वाले माईन्स एण्ड मिनरल्स एक्ट से संबंधित समस्त प्रकरण।</p> <p>9. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र लालबाग से संबंधित पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार कर निराकरण करना।</p> <p>10. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र लालबाग में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण :-</p> <p>अ. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट, 1945</p> <p>ब. म0प्र0 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955</p> <p>स. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958</p> <p>द. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम</p> <p>य. नाप तौल अधिनियम</p> <p>र. फैक्ट्री अधिनियम</p> <p>ल. सार्वजनिक द्युत अधिनियम</p> <p>11. जिला बुरहानपुर में स्थित वन अधिनियम से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण।</p> <p>12. अंतरण पर प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरणों व अन्य कार्यवाहियों का निराकरण।</p>
3.	श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रेणी बुरहानपुर	आरक्षी केन्द्र:-	माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेशानुसार संपूर्ण सप्ताह हेतु बाल न्यायालय का कार्य सम्पादित करेंगी।
4.	श्री राजकुमार भद्रसेन,	आरक्षी केन्द्र:-	1. आरक्षी केन्द्र शिकारपुरा द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत

1	2	3	4
	<p>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रेणी बुरहानपुर</p>	<p>1. शिकारपुरा</p>	<p>प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है।</p> <p>2. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों के अंतर्गत धारा 176 दं.प्र.सं. के संशोधित प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जांच करना।</p> <p>3. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय बुरहानपुर की पूर्वानुमति एवं सी.जे.एम. बुरहानपुर को पूर्व सूचना देते हुये अपने क्षेत्राधिकार में चलित न्यायालय लगाना।</p> <p>4. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (विशेष उपबंध) अधिनियम 1987, अत्यावश्यक वस्तु संशोधन (आर्डिनेन्स) 1998 का निराकरण करना।</p> <p>5. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्र से उत्पन्न आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में, जिनमें 50 बल्क लीटर से कम शराब जप्त हुई हो, का विचारण करना।</p> <p>6. जिला बुरहानपुर (थाना नेपालनगर एवं निम्बोला को छोड़कर) के शेष आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के प्रकरण, जो कि माह मार्च एवं अप्रैल 2023 तक की अवधि में प्रस्तुत किये जावे।</p> <p>7. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित दाण्डिक प्रकरणों का निराकरण।</p> <p>8. उपरोक्त आरक्षी से उत्पन्न होने वाले माईन्स एण्ड मिनरल्स एक्ट से संबंधित समस्त प्रकरण।</p> <p>9. थाना शिकारपुरा एवं वन विभाग, बुरहानपुर क्षेत्रांतर्गत पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार कर निराकरण करना।</p> <p>10. उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण :-</p> <p>अ. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट, 1945</p> <p>ब. म0प्र0 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955</p> <p>स. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958</p> <p>द. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम</p> <p>य. नाप तौल अधिनियम</p> <p>र. फैक्ट्री अधिनियम</p> <p>ल. सार्वजनिक द्युत अधिनियम</p>
<p>5. डॉ. गौरव गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील नेपालनगर, जिला बुरहानपुर</p>	<p>आरक्षी केन्द्र:-</p> <p>1. नेपालनगर</p> <p>2. निम्बोला</p>	<p>1. थाना नेपालनगर, निम्बोला क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले तथा अन्य विभागों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है।</p>	

1	2	3	4
			<p>2. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र नेपानगर, निम्बोला क्षेत्रों के धारा 176 दं. प्र.सं. के संशोधित प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जांच करना।</p> <p>3. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय बुरहानपुर की पूर्वानुमति एवं सी.जे.एम. बुरहानपुर को पूर्व सूचना देते हुये अपने क्षेत्राधिकार में चलित न्यायालय लगाना।</p> <p>4. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (विशेष उपबंध) अधिनियम 1987, अत्यावश्यक वस्तु संशोधन (आर्डिनेन्स) 1998 का निराकरण करना।</p> <p>5. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से उत्पन्न म0प्र0 आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में, जिनमें 50 बल्क लीटर से कम शराब जप्त हुई हो, का विचारण करना।</p> <p>6. उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के प्रकरण।</p> <p>7. उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले माईन्स एण्ड मिनरल्स एक्ट से संबंधित समस्त प्रकरण।</p> <p>8. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से उत्पन्न महिलाओं से संबंधित/उनके विरुद्ध कारित अपराध/अत्याचार एवं घरेलू हिंसा से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>9. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित दाण्डिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>10. उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों से संबंधित पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार कर निराकरण करना।</p> <p>11. उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण :-</p> <p>अ. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट, 1945</p> <p>ब. म0प्र0 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955</p> <p>स. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958</p> <p>द. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम</p> <p>य. नाप तौल अधिनियम</p> <p>र. फैक्ट्री अधिनियम</p> <p>ल. सार्वजनिक द्युत अधिनियम</p>
6.	श्री देवेश मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुरहानपुर	आरक्षी केन्द्र:- 1.गणपतिनाका	<p>1. थाना गणपतिनाका क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले तथा अन्य विभागों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है।</p> <p>2. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र गणपतिनाका क्षेत्र के धारा 176 दं.प्र.सं. के संशोधित प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जांच करना।</p> <p>3. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय बुरहानपुर की पूर्वानुमति एवं</p>

1	2	3	4
			<p>सी.जे.एम. बुरहानपुर को पूर्व सूचना देते हुये अपने क्षेत्राधिकार में चलित न्यायालय लगाना।</p> <p>4. जिला बुरहानपुर (थाना नेपानगर एवं निम्बोला को छोड़कर) के शेष आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के प्रकरण, जो कि माह मई एवं जून 2023 तक की अवधि में प्रस्तुत किये जावे।</p> <p>5. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (विशेष उपबंध) अधिनियम 1987, अत्यावश्यक वस्तु संशोधन (आर्डिनेन्स) 1998 का निराकरण करना।</p> <p>6. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से उत्पन्न म0प्र0 आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में, जिनमें 50 बल्क लीटर से कम शराब जप्त हुई हो, का विचारण करना।</p> <p>7. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित दाण्डिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>8. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले माईन्स एण्ड मिनरल्स एक्ट से संबंधित समस्त प्रकरण।</p> <p>9. उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों से संबंधित पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार कर निराकरण करना।</p> <p>10. उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण :-</p> <p>अ. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट, 1945</p> <p>ब. म0प्र0 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955</p> <p>स. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958</p> <p>द. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम</p> <p>य. नाप तौल अधिनियम</p> <p>र. फैक्ट्री अधिनियम</p> <p>ल. सार्वजनिक द्युत अधिनियम</p>
7.	श्रीमती संध्या देवेश मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुरहानपुर	आरक्षी केन्द्र:-	मातृत्व अवकाश पर होने से अवकाश पश्चात् कर्तव्य पर उपस्थित होने पर पृथक आदेश/संशोधित आदेश जारी किया जावेगा।
8.	श्री गुरुवेन्द्र कुमार हुरमाड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुरहानपुर	आरक्षी केन्द्र:- 1. खकनार	<p>1. थाना खकनार क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले तथा अन्य विभागों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है।</p> <p>2. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र खकनार क्षेत्र के धारा 176 दं.प्र.सं. के संशोधित प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जांच करना।</p> <p>3. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय बुरहानपुर की पूर्वानुमति एवं सी.जे.एम. बुरहानपुर को पूर्व सूचना देते हुये अपने क्षेत्राधिकार में</p>

1	2	3	4
			<p>चलित न्यायालय लगाना।</p> <p>4. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (विशेष उपबंध) अधिनियम 1987, अत्यावश्यक वस्तु संशोधन (आर्डिनेन्स) 1998 का निराकरण करना।</p> <p>5. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से उत्पन्न म0प्र0 आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में, जिनमें 50 बल्क लीटर से कम शराब जप्त हुई हो, का विचारण करना।</p> <p>6. जिला बुरहानपुर (थाना नेपानगर एवं निम्बोला को छोड़कर) के शेष आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के प्रकरण, जो कि माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर 2023 तक की अवधि में प्रस्तुत किये जावे।</p> <p>7. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित दाण्डिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>8. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले माईन्स एण्ड मिनरल्स एक्ट से संबंधित समस्त प्रकरण।</p> <p>9. उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों से संबंधित पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार कर निराकरण करना।</p> <p>10. उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण :-</p> <p>अ. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट, 1945</p> <p>ब. म0प्र0 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955</p> <p>स. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958</p> <p>द. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम</p> <p>य. नाप तौल अधिनियम</p> <p>र. फैक्ट्री अधिनियम</p> <p>ल. सार्वजनिक द्युत अधिनियम</p>
9.	सुश्री आरती गौतम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुरहानपुर	1. जिला बुरहानपुर में स्थित थाना क्षेत्र से (थाना क्षेत्र नेपानगर तथा थाना क्षेत्र निम्बोला के नेपानगर तहसील को छोड़कर) महिलाओं से संबंधित अपराध (मात्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा	<p>1. समस्त आरक्षी केन्द्र (आरक्षी केन्द्र नेपानगर एवं निम्बोला को छोड़कर) क्षेत्रों से उत्पन्न महिलाओं से संबंधित/उनके विरुद्ध कारित अपराध/अत्याचार एवं घरेलू हिंसा से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>2. जिला बुरहानपुर (थाना नेपानगर एवं निम्बोला को छोड़कर) के शेष आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के प्रकरण, जो कि माह अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर 2023 तक की अवधि में प्रस्तुत किये जावे।</p> <p>3. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे गये समस्त न्यायिक कार्य सम्पादित किये जायेंगे।</p>

1	2	3	4
		विचारणीय हो) 2.महिला थाना	<p>4. महिला थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है।</p> <p>5. उपरोक्त महिला थाना क्षेत्र के धारा 176 दं.प्र.सं. के संशोधित प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जांच करना।</p> <p>6. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित दाण्डिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>7. उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों से संबंधित पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार कर निराकरण करना।</p>

सामान्य आदेश :-

1. इस कार्य विभाजन पत्रक का किसी अधिनियम, नियम अथवा अधिसूचना द्वारा दिया गया क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होगा।
2. वर्तमान कार्य विभाजन आदेश का लंबित प्रकरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
3. इस आदेश के निर्वचन में कोई भ्रम उत्पन्न होने पर मार्गदर्शन हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को संदर्भित किया जाये।
4. जिले में पदस्थ प्रत्येक मजिस्ट्रेट सार्वजनिक अवकाशों में समान रूप से दोपहर 3 से 5 बजे तक आवश्यक रिमाण्ड ड्यूटी के साथ सुपुर्दगीनामा आवेदन पत्र का निराकरण भी करेंगे।

नोट :-1. किसी न्यायालय का आवश्यक कार्य में निम्नलिखित कंडिका क. 5, 6, 7 में उल्लेखित कार्य माने जायेंगे।

5. रिमांड, जमानत, उपस्थित माफी आवेदन, वाहन सुपुर्दगीनामा एवं धारा 164 द.प्र.सं. के आवेदन पत्रों का निराकरण तथा संक्षिप्त विचारण शक्तियों का सशक्त होने पर समरी प्रक्रिया के विचारणीय ऐसे प्रकरणों के चालान जिसमें अभियुक्त दोषसिद्धी का अभिवाक् करना चाहता हैं।
6. ऐसे उपस्थित साक्षियों का परीक्षण करना, जो वृद्धावस्था तथा बीमार अथवा दूरस्थ स्थान से सम्मन या वारंट पर उपस्थित हुआ हो एवं उनका पुनः उपस्थित होना अत्यन्त व्यय साध्य एवं असुविधाजनक हो और जहां से उन्हें पुनः आहूत करना असुविधाजनक व असंभव होगा, ऐसे प्रकरण में संबंधित मजिस्ट्रेट आवश्यक साक्ष्य लेने के उपरांत उस प्रकरण को मूल न्यायालय के समक्ष वापिस करेंगे।
7. आवश्यक कार्य देख रहे मजिस्ट्रेट यदि संक्षिप्त विचारण करने हेतु सशक्त हो तो अन्य न्यायालय के अनुपस्थित रहने की स्थिति में ऐसे मामलों का निराकरण कर सकेंगे, जो समरी प्रक्रिया के तहत विचारणीय हो एवं अभियुक्त दोषसिद्धी का अभिवाक् करने हेतु तत्पर हों, ऐसे मामलों का पंजीकरण निराकरण करने वाले न्यायालय में ही होगा।
8. महिलाओं से संबंधित ऐसे अपराध, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय नहीं है, संबंधित थाना क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष चालान/अन्य कार्यवाही प्रस्तुत की जायेगी।

9. संबंधित मजिस्ट्रेट माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय की अनुमति एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से निर्देश प्राप्त करके अपनी अधिकारिता में प्रत्येक 02 माह में कम से कम एक बार चलित न्यायालय लगायेंगे।
10. मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित आपराधिक प्रकरणों में वाहन सुपुर्दगी के मामलों में वाहन के रजिस्ट्रेशन, बीमा, ड्रायविंग लायसेंस, परमिट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति सत्यापित कर सुपुर्दगी प्रपत्र के साथ संलग्न की जावे।
11. वर्तमान में अस्तित्व में ना होने वाले न्यायालयों के जारी स्थायी वारण्ट के पालन में आरोपी को अभिरक्षा में प्रस्तुत करने पर या आरोपी द्वारा समर्पण करने पर संबंधित आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होंगे और उन्हीं के द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। धारा 138 एन0आई0एक्ट के मामलों में वर्तमान में अस्तित्व में ना होने वाले न्यायालयों द्वारा जारी स्थायी वारण्ट के पालन में आरोपी को अभिरक्षा में प्रस्तुत करने पर या आरोपी द्वारा समर्पण करने पर धारा 138 एन0आई0एक्ट के अंतर्गत संबंधित आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होंगे एवं उन्हीं के द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जाएगा।
12. अजाक थाने से संबंधित प्रकरणों में रिमांड कार्य, जिले में विशेष न्यायालय का गठन होने से मात्र सार्वजनिक अवकाश के दौरान संपादित किये जायेंगे।
13. माननीय सत्र न्यायालय द्वारा अथवा माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय के न्यायालय द्वारा विचारण योग्य मामलों के उपार्पण कार्यवाही के दौरान उपार्पण आदेश पारित किये जाते समय अभिलेख के साथ संबंधित मामले की केस डायरी भी भेजी जाना सुनिश्चित किया जावे तथा मुद्देमाल भी संबंधित न्यायालय को भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे। धारा 306, 304-‘बी’ भा.दं.वि. के प्रकरणों में एफ.एस.एल. रिपोर्ट की उपलब्धता भी देख ली जावे तथा सभी अजमानतीय अपराध में यदि कोई जमानत आवेदन निरस्त होता है तो, उस दशा में आदेश की प्रति केस डायरी में संलग्न की जाये।
14. जिला मुख्यालय/तहसील स्तर पर रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को उस दिन जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों का अतिरिक्त आवश्यक कार्य संपादित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।
15. विचाराधीन बण्डल फाईल (रिमाण्ड प्रपत्र व सुपुर्दगी प्रपत्र) संबंधित आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले जे.एम.एफ.सी. के न्यायालय में भेजे जावे।
16. आकस्मिकता की अवस्था में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मजिस्ट्रेट की रिमांड ड्यूटी में परिवर्तन किया जा सकेगा।
17. संबंधित मजिस्ट्रेट अपने-अपने आरक्षी केन्द्र क्षेत्र की ओर से प्रस्तुत होने वाले खारजी के अतिरिक्त समस्त अंतिम प्रतिवेदन खात्मा स्वीकृत किये जाने के लिए प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण करेंगे।
18. प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे प्रकरणों के अभियोग-पत्र एवं विविध आपराधिक प्रकरण नहीं लेंगे जिनके विचारण का अनन्य क्षेत्राधिकार म.प्र. ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालय को प्राप्त हैं।
19. प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश व मुख्यालय से बाहर रहने के आवेदन पत्र श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रेषित करते हुए उसकी एक प्रति उनके प्रभारी मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेंगे।
20. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत संस्वीकृतियों और कथनों का अभिलेख संलग्न सूची क्रमांक 'ब' अनुसार किया जावेगा।

21. धारा 340 द.प्र.सं. के न्यायिक जिला बुरहानपुर के अंतर्गत आने वाले परिवार पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।
22. न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर/अनुपस्थित रहने की दशा में आवश्यक कार्यभार अनुसूची क्रमांक 'अ' के अनुसार कार्य संपादित करेंगे।
23. इस न्यायिक जिला स्थापना पर कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय रिक्त होकर किसी अन्य मजिस्ट्रेट की पदस्थापना नहीं होने पर उक्त न्यायालय के आपराधिक प्रकरणों में जारी स्थाई गिरफ्तारी वारंट, गिरफ्तारी वारंट से उद्भूत प्रकरण एवं उनमें पारित निर्णय, की गई अपील के उपरांत प्रत्यावर्तन उपरांत सुनवाई हेतु एवं अन्य आवश्यक कार्य, विधिक कार्यवाही एवं लंबित प्रकरणों की तिथि बढ़ाने और अत्यावश्यक कार्य हेतु प्रभार इस कार्य विभाजन आदेश के साथ संलग्न अनुसूची 'अ' में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जायेगा।

उक्त आदेश माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला बुरहानपुर (म0प्र0) के अनुमोदन पश्चात् तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।

अनुमोदित

(आशिता श्रीवास्तव)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला बुरहानपुर (म.प्र.)

(कल्पना मरावी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बुरहानपुर (म.प्र.)

